(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री छत्रपाल चौधरी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 22/2022/प्रार्थना पत्र

उनवान

1. अनवर उद्दीन पि. नूर उद्दीन जाति मुसलमान नि. पिडावा तहसील पिडावा

– प्रार्थी

बनाम

1. अजीज अली पि. अशरफ अली जाति मुसलमान नि. पिडावा तहसील पिडावा
2. अनीस अहमद पि. सईद अहमद जाति मुसलमान नि. पिडावा तहसील पिडावा
3. आसिफ अहमद पि. शब्बीरअहमद जाति मुसलमान नि. पिडावा तहसील पिडावा
4. इरशाद पि. अशरफ अली जाति मुसलमान नि. पिडावा तहसील पिडावा
5. एजाज पि. अशरफ अली जाति मुसलमान नि. पिडावा तहसील पिडावा
6. फेमिदा पि. अशरफ अली जाति मुसलमान नि. पिडावा तहसील पिडावा
7. फरजाना पत्नि नूर उद्दीन जाति मुसलमान नि. पिडावा तहसील पिडावा
8. मोहम्मद जमील पि. एहसान खां जाति मुसलमान नि. पिडावा तहसील पिडावा
9. मोहम्मद पि. अशरफ अली जाति मुसलमान नि. पिडावा तहसील पिडावा
10. शौकत पि. अशरफ अली जाति मुसलमान नि. पिडावा तहसील पिडावा
11. सलमा बी पत्नि उमर उद्दीन जाति मुसलमान नि. पिडावा तहसील पिडावा
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – वकील प्रार्थीगण – श्री ईश्वर सिंह

वकील अप्रार्थी सं. 1, 4, 9, 10 – श्री फिरोज अहमद खान

वकील अप्रार्थी सं. 8 – श्री अहमद उल्ला खान

वकील अप्रार्थी सं. 7, 11 – श्री महेन्द्र सिंह जैन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

COURT 2024

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(4)

आदेश दिनांक : 18/07/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से धारा 212 रा. टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पिडावा तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 14 का ख.नं. 63 रकबा 0.4173 हेक्टर आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी की है जो पिडावा से परिहारखेडी रोड से लगी हुई है एवं आबादी के नजदीक स्थित है। अप्रार्थीगण के उक्त आराजी का बिना बंटवारा कराये मौके पर अपनी मर्जी से बिना माप तोल के ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है। अप्रार्थीगण बिना बंटवारा कराये निर्माण कार्य कर लेते है तो बाद में सीमा विवाद उत्पन्न होगा जिसका निस्तारण करना मुश्किल होगा। प्रार्थी ने कोई निर्माण नहीं कराया है जिसके लिये भूमि शेष नहीं बचेगी। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को बंटवारा कराने की कही परन्तु वे इंकार हो गये।

इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण बिना बंटवारा कराये निर्माण कार्य कर लेते है तो अपरिमित क्षति की संभावना भी प्रार्थी की है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण होने तक ग्राम पिडावा तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 14 का ख.नं. 63 रकबा 0.4173 हेक्टर भूमि में उसके हिस्से कब्जे वाली भूमि से बेदखल नहीं करे एवं बिना बंटवारा कराये उक्त भूमि को कही रहन, बय, अन्तरण नहीं करे एवं निर्माण नहीं करे। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पिडावा की जमाबंदी के खाता सं. 14 की नकल प्रस्तुत की।

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 1, 4, 9, 10 की ओर एडवोकेट श्री फिरोज अहमद खान एवं अप्रार्थी सं. 7, 11 की ओर से एडवोकेट श्री महेन्द्र सिंह जैन ने वकलातनामा एवं जवाब पेश किया तथा अप्रार्थी सं. 8 की ओर से एडवोकेट श्री अहमद उल्ला खान ने वकालातनामा पेश किया परन्तु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया जिससे जवाब अवसर बंद किया गया। अप्रार्थी सं. 2, 3, 5, 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा

COURT 2024

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(5)

अप्रार्थी सं. 1, 4, 9, 10 की ओर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है एवं पक्षकारान मुस्लिम है जिन पर मुस्लिम कानून लागू होता है। अप्रार्थीगण का कब्जा बतौर खातेदार टीनेन्ट उनके पिता के समय से 20 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर स्ट्रेन्जर है उसका भूमि के किसी भी भाग पर कब्जा व हित निहित नहीं है एवं न ही वह किसी अनुतोष पाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी को जिस बेचान पत्र से क्रय करना बताया है वो बेचान पत्र फर्जी व कूटरचित है जो कि नल एवं वाईड है। इस बेचान पत्र के आधार पर दर्ज किया गया नामान्तरण भी शून्य एवं निरस्तनीय है क्योंकि बेचानकर्ता शमीम, गजाला, पारा का वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा नहीं था। बेचानकर्ता शमीम वादग्रस्त आराजी में अपना हकत्याग दिनांक 09.11.2012 को अपने भाईयों के पक्ष में कर चुकी है। इसी प्रकार बेचानकर्ता गजाला व पारा जो कि मलोराबी की पुत्रियां है एवं मलोराबी की मृत्यु उनके पिता अशरफ अली की मृत्यु से पूर्व हो चुकी है जिस कारण मुस्लित विधि के अनुसार मलोराबी के वारीसान का उनके पिता की सम्पत्ति में कोई हिस्सा व हक नहीं है। प्रार्थी को वाद लाने का कोई लोकस स्टैण्ड हासिल नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। जवाब पत्र के साथ हकत्याग विलेख दि. 09.11.2012 एवं रजिस्टर्ड बेचान पत्र दि. 19.08.2019 की प्रति पेश की।

अप्रार्थी सं. 7, 11 की ओर से स्वीकारात्मक जवाब पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

प्रार्थी की ओर से वादग्रस्त आराजी के फोटोग्राफ एवं अप्रार्थी की ओर से हकत्याग विलेख, रजिस्टर्ड बेचानपत्र एवं नामान्तरण सं. 1914 की प्रति पेश की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र एवं राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस एवं पेश न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया। प्रकरण में राजस्व रिकार्ड अनुसार यह पाया कि ग्राम पिडावा तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 14 का ख.नं. 63 रकबा 0.4173 हेक्टर भूमि जमाबंदी अनुसार पक्षकारान की शामलाती भूमि है। पक्षकारान मुस्लिम होने के उन पर मुस्लिम विधि कानून लागू होता है। प्रार्थी के पक्ष में बेचानकर्ता खातेदारान द्वारा बेचान से पूर्व रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र से अपना हक त्याग किया हुआ है। ऐसे मे प्रार्थी का प्राईमाफेसी केस नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस नहीं है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने की स्थिति में अपूरनीय क्षति की संभावना अप्रार्थीगण की होगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का खारीज किया जाता है।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ संलग्न हो।

(छत्रपाल चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner